

PRIME HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW BENCH-LUCKNOW

W.P.No. OF 1981 71-B

PETITIONER

OPP. PARTIES

ANNEXURE No. 1

रजिस्टर्ड नं० ए० डी० 4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीवेमेन्स)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4-खण्ड, (ख)

(परिवर्तित आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर, 1981

कात्तिक 21, 1903 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-2

संख्या 4329/37-2-81-9 एल०ए०-81

लखनऊ, 12 नवम्बर, 1981

प्रधिसूचना

40 सा०-501

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार अधिसूचना की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक निर्माण, स्थानिक मुनियिपलिटि विकास योजना के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा लखनऊ की जनता के लिए हरबोर्ड और लखनऊ पर कामधेनु नगर योजना नामक आवास योजना हेतु मकानों के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए सामर्थ्यमान है।

और जो कि राज्यपाल का नाम है कि उक्त अधिनियम का धारा 17 की उपधारा (1) के अन्वये उक्त भूमि पर लागू होगी। क्योंकि उक्त भूमि की, जो कृष्य है लखनऊ विकास प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा लखनऊ की जनता के लिए हरबोर्ड रोड, लखनऊ पर कामधेनु नगर योजना नामक आवास योजना हेतु मकानों के निर्माण और उचित सड़कों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को विचारित किया जाय, अतएव अधिनियम की धारा 5-क के अन्वये जांच नहीं होगी।

1	2	3	4	5
लखनऊ-(क्रमशः)	लखनऊ-(क्रमशः)	लखनऊ-(क्रमशः)	लखनऊ-(क्रमशः)	लखनऊ-(क्रमशः)
बी०	बि०	बि०	क०	
50	1	0	0	0
51	1	19	0	0
52	1	17	0	0
53	0	1	0	0
54	0	18	0	0
55	0	15	0	0
56	0	5	0	0
57	2	12	0	0
58	2	5	0	0
59	1	0	0	0
60	0	11	0	0
61	2	8	0	0
62	0	18	0	0
63	0	16	0	0
64	0	13	0	0
65	0	16	0	0
66	1	1	0	0
67	0	2	0	0
68	0	2	0	0
69	0	4	0	0
70	0	7	0	0
71	0	5	0	0
72	0	2	0	0
73	1	1	0	0
74	0	14	0	0
75	0	10	0	0
76	0	15	0	0
77	0	14	0	0
78	2	4	0	0
79	1	13	0	0
80	1	6	0	0
81	0	13	0	0
82	1	5	0	0
83	0	17	0	0
84	1	10	0	0
85	0	12	0	0
86	1	6	0	0
87	0	16	15	0
88	0	12	13	0
89	0	16	10	0
90	1	0	15	0
91	1	8	7	0
92	0	19	0	0
93	1	3	18	0
94	0	4	10	0
95	0	19	0	0
96	2	1	0	0
97	3	6	0	0
98	1	5	17	0
99	0	12	17	0
100	0	14	5	0
101	1	8	0	0
102	0	9	15	0
103	1	17	0	0
104	0	15	0	0
105	0	12	12	0
106	0	7	15	0
107	2	2	0	0
108	1	14	0	0
109	1	16	0	0
110	1	19	0	0
111	0	18	0	0

1	2	3	4	5
लखनऊ-(क्रमशः)	लखनऊ-(क्रमशः)	वरीकलां-(क्रमशः)	दी०	वि०
			दी०	वि०
			वि०	क०
119			1	3
120			1	14
121			0	2
122			0	19
123			1	0
124			0	7
125			0	6
126			0	6
127			0	7
128			1	5
129			1	3
130			1	6
131			1	7
132			11	1
134			1	0
135			0	17
136			0	14
137			0	15
138			0	15
139			0	12
140			1	5
142			0	12
143			0	5
144			1	6
145			0	12
146			2	8
147			1	17
148			0	18
149			0	15
150			0	2
151			1	2
152			1	2
154			0	19
155			2	1
156			1	0
159			0	9
160			0	11
161			1	17
162			1	19
163			1	2
164			2	1
165			2	3
166			1	8
167			2	8
168			1	2
169			0	18
170			0	19
171			0	14
172			0	11
173			0	11
174			0	11
175			1	11
176			1	12
77			0	17
78			0	17
79			0	8
80			0	10
81			0	10
82			0	8
83			0	17
184			0	10
185			1	2

1	2	3	4	5
संख्या- (क्रमः)	संख्या- (क्रमः)	वरीकला- (क्रमः)	धी 0	धि 0
		186	0	0
		187	0	10
		188	0	10
		189	0	5
		190	0	12
		191	0	18
		192	1	2
		193	0	11
		194	0	8
		195	0	7
		196	0	8
		197	0	16
		198	0	9
		199	0	11
		200	0	9
		201	0	9
		202	0	11
		203	0	10
		204	0	11
		205	0	12
		206	0	16
		207	0	15
		208	1	3
		209	0	17
		210	1	5
		211	1	5
		213	1	13
		214	0	19
		215	0	6
		216	0	11
		217	2	8
		219	1	12
		220	0	17
		221	0	16
		222	0	10
		223	0	7
		224	0	18
		225	0	6
		226	0	17
		227	0	7
		228	0	13
		229	0	11
		230	0	12
		231	0	3
		232	0	14
		233	0	12
		234	1	3
		235	1	3
		236	0	18
		237	1	0
		238	0	9
		239	1	3
		240	1	7
		241	0	18
		242	1	6
		243	1	8
		244	1	16
		245	0	15
		246	0	8
		247	1	18
		248	1	3
		249	0	15

1	2	3	4	5
संख्या- (क्रमः)	संख्या- (क्रमः)	वरीयता- (क्रमः)	वरीयता- (क्रमः)	वरीयता- (क्रमः)
250	2	17	0	0
251	0	19	0	0
252	1	7	0	0
253	1	0	0	0
254	0	13	0	0
255	2	2	0	0
256	3	14	0	0
257	2	8	0	0
258	1	19	0	0
259	3	14	0	0
260	2	8	0	0
261	2	10	0	0
262	2	17	0	0
263	2	17	0	0
264	2	3	0	0
265	2	14	0	0
266	2	19	0	0
267	2	5	0	0
268	3	17	0	0
270	1	4	0	0
271	1	16	0	0
272	0	18	0	0
273	2	8	0	0
274	0	3	0	0
275	0	15	0	0
276	0	3	0	0
277	3	18	0	0
283	1	19	0	0
284	0	18	0	0
285	1	3	0	0
286	2	13	0	0
287	0	15	18	0
288	0	17	5	0
289	0	17	15	0
290	0	17	12	0
291	1	15	0	0
292	1	10	0	0
293	2	1	0	0
294	1	11	7	0
297	1	3	6	0
298	0	9	0	0
300	1	11	0	0
301	0	12	0	0
302	0	2	0	0
303	0	14	0	0
304	1	13	0	0
305	0	2	0	0
306	1	6	0	0
307	0	11	0	0
308	1	3	0	0
309	1	8	12	0
310	0	15	8	0
311	1	7	0	0
312	1	9	0	0
313	2	3	0	0
314	0	7	0	0
315	2	13	0	0
317	1	6	0	0
318	2	1	0	0
319	1	5	0	0
320	1	9	0	0
321	1	9	0	0
322	1	9	0	0

(Faint vertical Chinese text)

1	2	3	4	5
खण्ड- (नगर) नगर- (नगर) नगर- (नगर)	आ०	वि०	वि०	क०
108	0	3	15	0
109	0	19	0	0
110	0	6	10	0
111	1	9	0	0
112	1	6	17	0
113	0	15	0	0
114	0	5	8	0
115	1	10	16	0
116	0	11	0	0
117	0	16	0	0
118	0	3	15	0
119	0	1	0	0
120	0	13	15	0
121	0	16	4	0
124	0	6	10	0
125	0	10	10	0
126	0	7	0	0
127	2	0	0	0
128	0	13	0	0
129	0	16	0	0
130	0	12	0	0
149वीं	24	17	12	0

योग .. 162 7 16 0

कुल योग .. 2169 11 2 0

या 1355-97 एकड़

वित्त प्रयोजन के लिए प्रावश्यकता है:—सुविधोजित विकास योजना के अंतर्गत लखनऊ विकास प्राधिकारी द्वारा की जनता के लिये हरदोई रोड, लखनऊ पर कामधेनु नगर योजना नामक आवास योजना हेतु मकानों के निर्माण और उचित सड़कों की व्यवस्था करने के लिए।
टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नगरा नगर/भूमि प्रयोजन प्राधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

माता से,

फ० एस० त्रिपाठी,

विशेष सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4329/XXXVII-2-81-9-LA-81, dated November 12, 1981 for general information:

No. 4329/XXXVII-2-81-9-LA-81

Dated Lucknow, November 12, 1981

UNDER sub-section (1) of the section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in Schedule below is needed for a public purpose namely for the construction of houses and to provide proper roads for the Housing Scheme named Kamdhera Nagar Yojana at Hardoi Road, Lucknow for the people of Lucknow by the Lucknow Development Authority, Lucknow, under Planned Development Scheme.

2. Being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act, are applicable to the said land inasmuch as the said land, which is arable land is urgently required for the construction of houses and to provide proper roads for the Housing Scheme named Kamdhera Nagar Yojana at Hardoi Road, Lucknow for the people of Lucknow by the Lucknow Development Authority, Lucknow and that in view of the pressing